


राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, चूरु



जिला परिषद उपरी मंजिल, कलेक्ट्रेट परिसर, चूरु

☎ : 01562.256483

Email: rajssa_churu@yahoo.co.in

☎ : 01562.256483

क्रमांक:—एसएसए/चूरु/संस्थापन/संविदा/2018-19/93

दिनांक :- 20.04.18

—:विज्ञप्ति


जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, चूरु के अधीनस्थ कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान तथा कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में विभिन्न पदों पर सेवायें संविदा अनुबन्ध (पूर्णतया अस्थाई) पर लिये जाने के लिये दिनांक 2.5.18 तक इस कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	नियोजन कार्यालय	न्यूनतम योग्यता
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, सुजानगढ़	सीनियर सैकेण्डरी, कम्प्यूटर डिप्लोमा
2	सहायिका	01	कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, ठरड़ा, सुजानगढ़	साक्षर
3	सहायक कुक	02	कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, रतनगढ़	साक्षर

शर्तें


- आवेदक दिनांक 30.04.2018 को 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। विधवा व परित्यक्ता हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी।
- आवेदक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उक्त सेवाओं के लिये अनुबन्ध अधिकतम 01 वर्ष तक के लिये मान्य होगा। आवश्यकतानुसार अनुबन्ध बढ़ाया भी जा सकेगा। सेवा असन्तोषप्रद होने पर नियमानुसार किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
- पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
- आवेदक अपने शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां जो कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय द्वारा जारी हो कि स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
- आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जाति, लिंग, आयु, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, वर्तमान व स्थाई पता मय टेलीफोन, मोबाइल नम्बर आदि का स्पष्ट रूप से अंकन करे।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 2.5.18 होगी। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र उक्त तिथि तक कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, चूरु में प्राप्त हो जाने चाहिये। डाक विभाग या अन्य किसी कारण से होने वाले विलम्ब के लिये सम्बन्धित अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा। आवेदन पत्र में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- चयनित अभ्यर्थी को ब्लॉक कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान एवं अधीनस्थ कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नियोजित किया जावेगा।
- वर्तमान में कार्यरत सर्व शिक्षा अभियान के कार्मिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

10. किसी भी सरकारी कार्यालय/निगम/बोर्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी परियोजना में कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने पर ही स्वीकार किया जावेगा।
11. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय समस्त मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा।
12. चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार 500/- के नॉन ज्युडीशियल स्टाप पर अनुबन्ध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अनुबन्ध अवधि पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तों का उल्लेख होगा।
13. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय मान्य होगा।
14. आवेदन पत्र ऑफलाइन ही स्वीकार्य है। ऑनलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. किसी भी पद पर चयन हो जाने पर भी विभाग द्वारा स्वीकृत पद के अनुसार ही नियोजन सम्भव होगा। विभाग द्वारा पदों की स्वीकृति में कमी होने पर चयनित अभ्यर्थी का नियोजन रद्द/अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
16. कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नियोजित स्टॉफ को 24 घंटे आवासीय सेवाएँ देनी होंगी।
17. चयनित संभागी द्वारा कभी भी नियमित नियुक्ति की मांग नहीं की जा सकेगी।
18. विभाग द्वारा समय-समय पर इस बाबत जारी दिशानिर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना चयनित संभागियों को माननी होगी।
19. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1(4) एफ डी/रूल्स/2011 पार्ट-11/जयपुर दिनांक 27.06.2014 के प्रावधान लागू होंगे।
20. कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
21. चयन हेतु तैयार की जाने वाली वरीयता सूची में अंक एनेक्चर A में अंकितानुसार निर्धारित किये जायेगे।
22. समस्त पदों पर चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
23. समस्त पदों के लिए मानदेय राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा एवं मानदेय में वृद्धि भी परिषद से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही होगी।
24. चयनित किये गये अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के सम्बंध में कमेटी द्वारा यदि उक्त दस्तावेज के सत्यापन का निर्णय लिया जाता है तो दस्तावेज सत्यापन के पश्चात ही संविदा अनुबन्ध सम्बंधित कार्यवाही की जावेगी।
25. रिक्त पदों का विवरण आयु, शर्त, आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य विस्तृत विवरण शासकीय वेब साईट <http://churu.rajasthan.gov.in> पर देखे व आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।



 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 (शा.वि.प्र.) जिला परिषद, चूरु
 दिनांक :- 20-04-2018

क्रमांक:-एसएसए/चूरु/संस्थापन/संविदा/2018-19/94-150
 प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, चूरु ।
3. वित्त नियंत्रक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर।
4. अति. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर।
5. उप निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, चूरु को शासकी वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. जिला चूरु।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला परिषद/सर्व शिक्षा अभियान, चूरु ।
8. रक्षित पत्रावली।


 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 (शा.वि.प्र.) जिला परिषद, चूरु

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान, चूरु



जिला परिषद् भवन, ऊपरी मंजिल, कलेक्ट्रेट परिसर, चूरु (राज.)

पंजीयन पत्र (वॉक-इन-इंटरव्यू)

आवेदित पद का नाम :

जिले का नाम : चूरु

1. प्रार्थी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. मूल निवास का पता :

4. जन्म-तिथि : मोबाईल नं.

5. दिनांक को आयु :

6. शैक्षणिक योग्यता :

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी	संलग्नक संख्या
1.	सैकण्डरी/समकक्ष			
2.	हायर/सीनियर सैकण्डरी			
3.	स्नातक			
4.	अधिस्नातक			
5.	कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री			

7. आवेदित पद हेतु विज्ञापन में अंकित शर्त अनुसार : वर्ष माह दिन
वांछित पद पर दिनांक तक कुल अनुभव (केवल कम्प्यूटर ऑपरेटर)
पद :
कब से कब तक :
8. अन्य विशिष्ट उपलब्धियां.....

शपथ पत्र

- मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही हैं। मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम :